



9414408726 (M)
yadavdk71@gmail.com
incharge.arss.gonera@sknau.ac.in


कृषि अनुसंधान उप केन्द्र (श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर) गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर (राज.)

क्रमांक / कृ.अ.उ.के. / के.टी.पी. / 2017 / 44-50

दिनांक 05.06.2017


खुली निविदा सूचना

इस केन्द्र पर हिस्सा आधारित खेती के लिए खरीफ 2017 व रबी 2017-18 के लिए दिनांक 16.06.17 को दोपहर बाद 2.0 बजे तक निविदाएं आमंत्रित की जाती है एवं निविदाएं दिनांक 17.06.17 को श्रीमान निदेशक, राज. कृषि अनु. संस्थान, दुर्गापुरा-जयपुर कार्यालय में दोपहर 12.00 बजे खोली जावेगी। निविदा प्रपत्र एवं शर्तों की जानकारी इस केन्द्र से पाँच सौ रु. जमा कराके प्राप्त की जा सकती है। साथ ही निविदा प्रपत्र के साथ दस हजार रु. धरोहर राशि नगद जमा करवानी होगी। निविदा से संबंधित समस्त विवरण वेबसाइट www.sknau.ac.in एवं राज्य सरकार की वेबसाइट <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर देखा जा सकता है। निविदा को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार कमेटी को होगा।


प्रभारी अधिकारी

प्रतिलिपि:-

1. श्रीमान् निदेशक, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
2. श्रीमान् वित्तनियंत्रक, श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को खोली जानी वाली दिनांक 17.06.17 को अपना प्रतिनिधि भेजने का श्रम करावें।
3. श्रीमान् चैयरमैन, टैप कमेटी, राजस्थान कृषि अनुसंधान संस्थान, दुर्गापुरा (जयपुर)
4. श्रीमान् संपादक, दैनिक भास्कर, जयपुर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति आपके राज्य स्तरीय अंक में प्रकाशित कर बिल इस कार्यालय को भेजने का कष्ट करें।
5. सीमका ईंचार्ज श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर को भेजकर निवेदन है कि उक्त विज्ञप्ति को विश्वविद्यालय की वेबसाइट एवं <http://sppp.rajasthan.gov.in> पर अपलोड करने का श्रम करावें।
6. सूचना पट्ट, कार्यालय
7. आरक्षित प्रति


प्रभारी अधिकारी

कृषि अनुसंधान उप केन्द्र गोनेड़ा-कोटपूतली जिला-जयपुर
श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय, जोबनेर

निविदा सूचना क्रमांक: /कृ.अ.उ.के./के.टी.पी./2017/ दिनांक 01.06.2017

1. योजना का नाम :	हिस्सा आधारित खेती		
2. बजट हेड	रिवोल्विंग फंड		
3. कार्य की अनुमानित अवधि	खरीफ 2017 व रबी 2017-18		
4. निविदा फार्म का मूल्य	500/-रुपये		
5. धरोहर राशि की प्रकृति व राशि	10000/-रुपये		
6. निविदादाता/ कोन्ट्रेक्टर द्वारा किये जाने वाले कार्य का विवरण:			
क्र.सं.	विवरण	हिस्सेदारी	प्रतिशत
1.	चारा उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	
2.	दाना/बीज उपज	कोन्ट्रेक्टर द्वारा रखा जाने वाला हिस्सा	
		कोन्ट्रेक्टर द्वारा केन्द्र को दिया जाने वाला हिस्सा	

निविदा शर्त:-

1.	ट्रेक्टर सम्बन्धी कार्य तथा डिस्क प्लाउ, हेरो, कल्टीवेटर द्वारा भूमि तैयारी कार्य, सीड ड्रिल द्वारा बुवाई, फर्टीलाजर ड्रिलिंग कार्य आदि की व्यवस्था केन्द्र द्वारा ही की जायेगी अर्थात इनसे सम्बन्धित डिजल खर्च में निविदादाता का कोई योगदान नहीं रहेगा।
2.	बुवाई के दौरान एवं फसल वृद्धि के दौरान लगने वाले बीज, खाद एवं उर्वरक, फंफूदनाशक, कीटनाशक, कल्चर आदि की आपूर्ति केन्द्र द्वारा ही की जायेगी व प्रति है. प्रभारी अधिकारी की सिफारिश के अलावा देय नहीं होगी।
3.	बुवाई से लेकर फसल थ्रेसिंग एवं गोदाम तक तोलकर रखवाने तक की प्रक्रिया में लगने वाले श्रमिक व्यय निविदादाता को ही वहन करने होंगे।
4.	निविदादाता को सिंचाई सम्बन्धी पाइप, फब्वारे, बेंड, टी, डाट आदि गिनकर लिखत रूप में प्राप्त करने होंगे तथा कार्य समाप्त होने तक सारी जिम्मेदारी उसकी स्वयं की होगी एवं उतनी ही संख्या में गिनकर ही लौटाने होंगे। नहीं लौटाने पर इनकी कीमत चुकानी पड़ेगी।
5.	विभिन्न प्रकार की सस्य क्रियायें फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी के निर्देशानुसार करनी होंगी तथा सारा श्रमिक व्यय एवं लगने वाले औजारों की व्यवस्था निविदादाता को ही वहन करनी होगी।

6.	निविदादाता को दिया जाने वाला उपज का हिस्सा जिन्स या रूपये के रूप में दिये जाने का निर्णय प्रभारी अधिकारी द्वारा किया जाएगा व निविदादाता को पूर्ण मान्य होगा। थ्रेसिंग के बाद प्राप्त होने वाले बीज उत्पाद के बंटवारे के बाद कॉन्ट्रेक्टर को उन फसलों का फसल थ्रेसिंग के समय उपज मंडी के एक सप्ताह के औसत भाव के आधार पर उसके हिस्से के उत्पाद का चैक द्वारा भुगतान कर दिया जायेगा।
7.	फार्म पर कृषि कार्यों के दौरान किसी प्रकार की दुर्घटना होने, सांप काटने, बिजली से व अन्य किसी उपकरणों से या लापरवाही से दुर्घटना होने पर प्रभारी अधिकारी व केन्द्र की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तथा पूर्ण जिम्मेदारी निविदाता की होगी।
8.	फार्म पर स्थित तारबंदी की मरम्मत का कार्य समय समय पर निविदाता को ही करनी होगी। केन्द्र अलग से कोई भुगतान नहीं करेगा।
9.	फसल कटाई के मामलों में कटी हुई फसलों को कहां इक्कठा करना है व कितने ढेर बनाने हैं इसके लिए फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी से सम्पर्क करना होगा तथा प्रतिकूल मौसमीय परिस्थितियों को देखते हुये फसल इक्कठा करने के लिये ट्रैक्टर ट्रौली की सुविधा केन्द्र द्वारा दी जा सकती है परन्तु यह शर्त केन्द्र के लिये बाध्य नहीं होगी।
10.	निराई गुड़ाई, कटाई, थ्रेसिंग तथा अन्य सम्बन्धित कार्य मौसम की स्थिति को देखते हुये निविदादाता को करने होंगे। प्रतिकूल मौसम होने पर उक्त कार्य रोके जाने का अधिकार फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी को होगा।
11.	फसल की थ्रेसिंग के पश्चात साफ किये फसल उत्पादन को बोरियों में भरकर फार्म फार्म मैनेजर व प्रभारी अधिकारी द्वारा बताये अनुसार तोलकर गोदाम में बोरियों की धांग निविदादाता को लगानी होगी। वजन तोलते समय नमी एव कचरा का 2 प्रतिशत काटा जावेगा।
12.	थ्रेसिंग पश्चात बोरियों में भरते समय ध्यान रखें कि किसी भी बोरी का वजन 1 किंवटल से अधिक नहीं हो।
13.	थ्रेसिंग में लगे मशीनरी का खर्चा स्वयं निविदादाता द्वारा वहन करना होगा तथा थ्रेसिंग कार्य कार्यालय समय में ही होगा।
14.	थ्रेसिंग के बाद फसल उत्पादन को खलिहान से गोदाम तक लाने के लिए फार्म ट्रैक्टर ट्रौली उपलब्ध करवादी जावेगी।
15.	फसल में रोगिंग/अपवांछन कार्य फार्म मैनेजर की देखरेख में निविदादाता को ही करना होगा।
16.	पम्प व ट्यूब वैल मोटर ओपरेशन निविदादाता को ही करना होगा व इनकी देखरेख व रखरखाव का कार्य भी निविदादाता को ही करना होगा।
17.	ट्यूब वैल के विद्युत बिल का भुगतान केन्द्र फार्म द्वारा वहन किया जायेगा। अन्य साधन से सिंचाई करने पर व्यवस्था निविदाता स्वयं को करनी होगी।
18.	फार्म कार्य संतो राजनक नहीं होने पर निविदा को निरिस्त करने का अधिकार प्रभारी अधिकारी का निर्णय अंतिम होगा जो कि कॉन्ट्रेक्टर को मान्य होगा।
19.	आवास की व्यवस्था निविदादाता को ही करनी होगी। कार्यालय द्वारा कोई सुविधा देय नहीं होगी।
20.	जमा राशी पर ब्याज देय नहीं होगा।
21..	थ्रेसिंग कार्य में बताये अनुसार थ्रेसर लगाकर कार्य करवाना होगा एवं केन्द्र की थ्रेसर उपलब्ध नहीं होने पर निविदादाता को अपने खर्चे से थ्रेसिंग कार्य करवाना होगा।

